न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 54/2020

1 बृजलाल पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी गाड़जी का बास तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विद्यार्थी पुत्री प्यारेलाल स्त्री नानुराम जाति जाट निवासी गाड़जी का बास तहसील व जिला झुंझुनू हाल निवासी कोदेसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2 ललीता पुत्री प्यारेलाल स्त्री धर्मपाल जाति जाट निवासी गाड़जी का बास तहसील व जिला झुंझुनू हाल निवासी चुड़ी अजीतगढ़ तहसील व जिला झुंझुनू।
3 अस्तअली पुत्र रहीम खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी भारू तहसील व जिला झुंझुनू।
4 रामजीलाल पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी चकबास तहसील व जिला झुंझुनू।
5 मृतक सहीराम पुत्र नौरंगराम।
5/1 सावित्री स्त्री सहीराम।
5/2 अशोक पुत्र सहीराम।
5/3 अंकित पुत्र सहीराम।
6 प्यारेलाल पुत्र नौरंगराम।
7 बनारसी बेवा नौरंगराम समस्त जाति जाट निवासीगण चकबास तहसील व जिला झुंझुनू।
8 भगवानी स्त्री हरिराम जाति जाट निवासी आबुसर तहसील व जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

9 रामकुमार पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी वारिसपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 21.08.2012 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी विद्यार्थी बनाम बृजलाल वगैरह मुकदमा नम्बर 115/2012 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14/1/22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 115/2012 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने विचारण न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.08.2012 को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

पारित की। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष को धारा 5 पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। दिनांक 20.06.2016 को दावा व टीआई खारिज हो गया था। दिनांक 02.12.2020 को नकल लेते समय स्थगन प्रभावशील होने की जानकारी हुई है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि तकनिकी आधार पर पक्षकार को न्याय से वंचित नही किया जाना चाहिए। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.03.2019, 30.05.2019,05.08.2019,23.09.2019 मे अपीलांट की उपस्थिति दर्ज है। स्पष्ट है कि अपीलांट ने तथ्यों को छुपाकर आवेदन प्रस्तुत किया है। अपीलांट स्वच्छ हाथो से नही आये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.03.2019, 30.05.2019,05.08.2019,23.09.2019 मे अपीलांट की उपस्थिति दर्ज है। स्पष्ट है कि अपीलांट ने तथ्यों को छुपाकर आवेदन प्रस्तुत किया है। अपीलांट स्वच्छ हाथो से नही आये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर